

दिल्ली विधान सभा  
समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §  
सोमवार, 9 सितम्बर, 1996 / भाद्रपद, 18, 1918 § शक §

संख्या : 278

सदस्यों को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, उत्तरी जिला, दिल्ली से दिनांक : 2.8.1996 को निम्नलिखित सूचना दिनांक : 2.8.96 को प्राप्त हुई :-

"दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 को धारा 65 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अपने कर्तव्य का निर्वहण करते हुए मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि सहायक पुलिस आयुक्त, सिविल लाइन्स, दिल्ली तथा श्री पी. एन. गुप्ता, सचिव § वि. स. §, जिन्होंने कि पत्र सं. एफ. 19 § 45 § / 94-वि.स. / दिनांक : 2.8.96 द्वारा लिखित में दिया था, के उचित निर्देशों का पालन न करने के कारण दिल्ली विधान सभा के सदस्य श्री दीप चन्द्र बन्धु, श्री जग प्रवेश चन्द्र, श्रीमती ताज़दार बाबर, श्री मुकेश शर्मा, श्रीमती कृष्णा तोरथ, श्री प्रेम सिंह, श्री अजय माकन, श्री राज कुमार चौहान, डा. ए.के. वालिया, श्री शोश पाल, श्री परवेज़ हाशमी, श्री ब्रह्म पाल को विधान सभा परिसर से हटाया गया।

विधान सभा के उपरोक्त सदस्यों को विधान सभा परिसर से 2.8.96 को अपराह्न 1.50 बजे हटाया गया और 25 मिनट तक पुलिस थाना, सिविल लाइन्स में गिरफ्तार रखा गया और जब वे इस बात पर सहमत हो गए कि धरने पर नहीं बैठेंगे, उसके बाद उसी दिन अर्थात् दिनांक : 2.8.96 को 2.15 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया।"

पी.एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART -II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, September 09, 1996/Bhadrapud 18, 1918 (Saka)

No. 278

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 02.08.1996 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly was received from the Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi on 02.08.96 :-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under section 65 of the Delhi Police Act, 1978, to direct that Sh. Deep Chand Bandhu, Sh. Jag Parvesh Chandra, Smt. Tajdar Babar, Sh. Mukesh Sharma, Smt. Krishna Tirath, Sh. Prem Singh, Sh. Ajay Maken, Sh. Raj Kumar Chauhan, Dr. A.K. Wallia, Sh. Shish Pal, Sh. Parvez Hashmi, Sh. Brahm Pal, Members of Vidhan Sabha, Delhi be removed from the Vidhan Sabha precincts for not obeying the reasonable directions of the Asstt. Commissioner of Police, Civil Lines, Delhi and Sh. P.N. Gupta, Secretary(LA) who has given in writing by letter No.F-19(45)/94-LV dated 2.8.96.

The above Members of Vidhan Sabha were accordingly removed from Vidhan Sabha precincts at 1.50 P.M. today on 2 August, 96 detained at P.S. Civil Lines for 25 minutes and released on the same day at 2.15 P.M. after they agreed not to squat or sit on dharna."

P.N. GUPTA  
SECRETARY